(वाद सं0.-422/4/4/2022)

15.09.2022

प्रसंगाधीन मामला, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, तेघड़ा द्वारा अकारण माह मई 2017, फरवरी, 2020 एवं मार्च, 2020 का वेतन का भुगतान परिवादी, कुमारी मनीषा शर्मा को नहीं किये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में **जिला पदाधिकारी, बेगूसराय** से प्रतिवेदन की मांग की गई। **जिला पदाधिकारी, बेगूसराय** के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित **जिला शिक्षा पदाधिकारी, बेगूसराय, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना शाखा (शिक्षा विभाग) बेगूसराय एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, तेघडा** के प्रतिवेदनानुसार **" प्रखंड–तेधड़ा के शिक्षिका, कुमारी मनीषा शर्मा, प्रखंड शिक्षिका प्रतिनियुक्त– उच्च माध्यमिक विद्यालय, फलवड़िया, मूल विद्यालय– उत्क्र0 म0वि0 अनु0 फुलवड़िया–03 प्रखंड+ अनुमंडल– तेधड़ा, जिला–बेगूसराय का वकाया वेतन भुगतान हेतु प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, तेघड़ा के पत्रांक–238 दिनांक–24.05.2022 से वकाया वेतन भुगतान हेतु प्राप्त एडवाइस के आधार पर कुमारी मनीषा शर्मा का हड़ताल अवधि एवं मई–2017 का बकाया कुल राशि मो0–69191/–(उनहत्तर हजार एक सौ इक्यानवे) रूपये मात्र का चेक संख्या–423802 दिनांक–18.02.2022 द्वारा भुगतान किया जा चुका है। "**

अब जबकि परिवादी के शिकायत का संबंधित प्राधिकार द्वारा संतोषजनक समाधान कर दिया गया है तो ऐसी परिस्थिति में **जिला पदाधिकारी, बेगूसराय** के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर **संचिकास्त** किया जाता है।

तद्नुसार, **जिला पदाधिकारी, बेगूसराय** से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति अनुलग्नको सहित (पृष्ठ–18–13/प0) संलग्न करते हुए आज पारित आदेश की प्रति के साथ **परिवादी** को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक